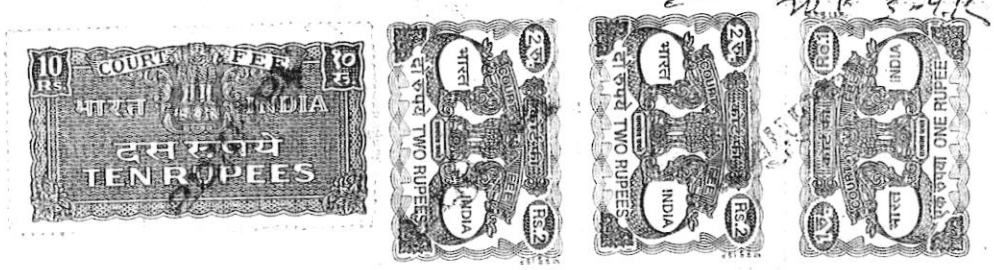

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–रीवा — रिव्यू 1393-II/12

1393 II/12
रिव्यू

द्वारा आज दि. 16/5/12
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आनन्द कुमार पुत्र श्री रामशरण ब्राह्मण, निवासी– ग्राम अमांव तहसील त्यौथर, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

शकुन्तलादेवी पुत्री स्व. श्री सिद्धमुनी, निवासी– ग्राम अमांव तहसील त्यौथर, जिला–रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदिका

माननीय न्यायालय श्री एम.के. सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1454-IV/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.03.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, विवादित भूमि के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी स्व. सिद्धमुनी थे। उनके द्वारा एक वसीयतनामा आवेदक के हित में विधिवत् रूप से कार्यवाही कर सम्पादित कराया गया था। इसी वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार रायपुर तहसील त्यौथर के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन–पत्र पर प्रकरण क्रमांक 30/अ–6/98–99 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इस प्रकरण में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान करते हुए अपने आदेश दिनांक 27.02.1999 से आवेदक का वसीयत नामा के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन स्वीकार किया गया था।

2– यहकि, नायब तहसीलदार रायपुर तहसील त्यौथर के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर जिला–रीवा के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 169/अ–6/03–04 प्रस्तुत की गई थी जो अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2006 से स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1393–दो/17 जिला –रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –12–17	आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 1454–चार/08 में पारित आदेश दिनांक 06.3.12 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 1393–दो/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1454–चार/08 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.03.12 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 1393–दो/17 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक	

तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य